

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक प. 1 (1) गृह-10/07

जयपुर, दिनांक 3/2/15

—आज्ञा:—

राजस्थान अभियोजन सेवा के निम्नांकित अधिकारीगण उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-5 में अंकित तिथि को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप वित्त विभाग की आज्ञा संख्या प. 1 (6) वित्त/रुल्लस/98 दिनांक 24.5.04 के अनुसरण में इन्हें कॉलम संख्या 6 में अंकित तिथि को अपराह्न से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:—

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद एवं पद स्थापन स्थान	जन्म तिथि	अधिवार्षिकी आयु तिथि	सेवानिवृत्त तिथि
1	श्री रामचरण मीणा पुत्र श्री ठण्डीराम	उ०नि०अ० राज० उच्च न्याया० जयपुर	1.7.55	30.6.15	30.6.15
2	श्री दिनेश शर्मा पुत्र श्री कृष्ण शर्मा	स०नि०अ० भ्र०नि०ब्यूरो जयपुर	2.7.55	1.7.15	31.7.15
3	श्री गंगाराम माली पुत्र श्री बालूजी	वि०लो०अ० एनडीपीएस न्याया० चित्तौड़गढ़	8.7.55	7.7.15	31.7.15
4	श्री भानाराम पुत्र बिडदुराम	उ०नि०अ० जोधपुर के पद के विरुद्ध	10.7.55	9.7.15	31.7.15
5	श्री किशन लाल पुत्र श्री दूलाराम	स०नि०अ० नागौर	15.7.55	14.7.15	31.7.15
6	श्री देवेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री शम्भुसिंह	उ०नि०अ० भरतपुर के पद के विरुद्ध	31.7.55	30.7.15	31.7.15
7	श्री रिशाल सिंह पुत्र श्री नानसिंह	उ०नि०अ० बीकानेर के पद के विरुद्ध	17.8.55	16.8.15	31.8.15
8	श्री धर्मसिंह भीमवाल पुत्र श्री भौरालाल	उ०नि०अ० राज०उच्च न्याया० जोधपुर के पद के विरुद्ध	22.8.55	21.8.15	31.8.15
9	श्री भविष्य कुमार गोयल पुत्र श्री रामदयाल	स०नि०अ० दौसा	24.9.55	23.9.15	30.9.15
10	श्री रामप्रकाश खाबाणी पुत्र श्री रूपचन्द खाबाणी	स०नि०अ० जालौर	21.10.55	20.10.15	31.10.15

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि क्रम संख्या 1 व 3 से 10 पर अंकित अधिकारियों के विरुद्ध वर्तमान में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 व 17 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच/शिकायत/एफ.आई.आर विचाराधीन नहीं हैं। क्रम संख्या 2 पर अंकित श्री दिनेश शर्मा के विरुद्ध नियम 17 सीसीए के अन्तर्गत कार्यवाही कार्मिक विभाग में प्रक्रियाधीन है।

६०

(राजेन्द्र सिंह चौधरी)
विशिष्ट शासन सचिव, गृह
एवं सयुक्त विधि परामर्शी

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय गृह मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, गृह।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/जांच) विभाग।
4. निदेशक पेंशन विभाग, राज. जयपुर।
5. निदेशक अभियोजन राज. जयपुर।
6. विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण) विभाग।
7. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़।
8. उप निदेशक अभियोजन जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर-11।
9. उप निदेशक अभियोजन राज.उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर।
10. सहायक निदेशक अभियोजन, जयपुर, नागौर, दौसा, जालौर, भ्र.नि.ब्यू. जयपुर।
11. समस्त प्रकोष्ठ अभियोजन निदेशालय।
12. संबंधित अधिकारी।
13. रक्षित/निजी पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव, गृह
एवं सयुक्त विधि परामर्शी